37

40

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय,
वल्लभ भवन, भोपाल – 462004

क्रमांक सी 5–1/2012/1/3, भोपाल, दिनांक 9 नवम्बर, 2012

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त संभागायुक्त,
समस्त जिला कलेक्टर,
समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत,
मध्यपदेश.

विषयः–दैनिक वेतन पर नियोजित व्यक्तियों से काम लेने की अधिकतम आयु–सीमा का निर्धारण।

—0—

राज्य शासन के विभिन्न विभागों में कार्य विशेष के संपादन हेतु समय–समय पर आवश्यकतानुसार दैनिक वेतन पर कर्मचारी रखे जाते हैं। ऐसे कार्यों की निरंतरता के आधार पर ये दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी लंबी अवधि तक कार्य पर रहते हैं, किन्तु इनसे अधिकतम किस आयु तक कार्य लिया जाना है, इसके कोई स्पष्ट निर्देश नहीं हैं।

2/ उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी तथा इनके समकक्ष पदों पर दैनिक वेतन पर नियोजित व्यक्तियों से काम लेने की अधिकतम आयु–सीमा क्रमशः 60 एवं 62 वर्ष निर्धारित की जाए अर्थात् राज्य शासन के समस्त विभागों में तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी तथा इनके समकक्ष पदों पर दैनिक वेतन पर नियोजित व्यक्तियों से अधिकतम क्रमशः 60 एवं 62 वर्ष की आयु पूर्ण होने तक ही कार्य लिया जा सकेगा।

3/ उक्त प्रावधान यह आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होंगे।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(आर.के. गजभिये)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग

बेटी है तो कल है

पृष्ठां क्रमांक सी 5—1/2012/1/3, भोपाल, दिनांक 5 नवम्बर, 2012

प्रतिलिपिः—

1. सचिव, महामहिम राज्यपाल, राजभवन, मध्यप्रदेश, भोपाल।
2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, मध्यप्रदेश शासन, मंत्रालय भोपाल।
3. माननीय मंत्री/राज्यमंत्री के निज सचिव/निज सहायक, मध्यप्रदेश भोपाल।
4. सचिव (समन्वय), मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल।
5. अध्यक्ष, मध्यप्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मण्डल/अध्यक्ष माध्यमिक शिक्षा मण्डल, भोपाल।
6. महानिदेशक, प्रशासन अकादमी, मध्यप्रदेश, भोपाल।
7. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश विधानसभा सचिवालय, भोपाल।
8. रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर।
9. सचिव, लोकयुक्त, मध्यप्रदेश भोपाल।
10. सचिव, मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग, इंदौर।
11. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी/सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, म.प्र. भोपाल।
12. महाधिवक्ता/उप महाधिवक्ता, मध्यप्रदेश जबलपुर/इन्दौर/ग्वालियर।
13. महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर/भोपाल।
14. प्रमुख सचिव/सचिव/उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग।
15. आयुक्त, जनसंपर्क, मध्यप्रदेश, भोपाल।
16. अवर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग अधीक्षण/अभिलेख/पुस्तकालय।
17. अध्यक्ष, शासन के समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संघ, मध्यप्रदेश।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

(आर.के. गजभिये)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग

बेटी है तो कल है